कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर, (छ0ग0)

आदेश

क्रमांक/रीडर–जि0दण्डा/1652/2020 बिलासपुर, दिनांक– 21 अप्रैल, 2020

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 67/परि.वि/टी.सी./2020 नवा रायपुर, दिनांक– 16.04.2020 के द्वारा, गृह सचिव, भारत सरकार के दिशा–निर्देश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A) दिनांक 15/04/2020 के संदर्भ में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में, राज्य के भीतर आवश्यक एवं गैर–आवश्यक वस्तुओं के सुगम परिवहन एवं मालवाहक के चालक/परिचालक के भोजन आदि की उत्पन्न समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, भोजनालय–ढ़ाबा एवं ट्रक के मरम्मत दुकानों को खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अतः भारत सरकार, गृह मंत्रालय के उपरोक्त दिशा–निर्देश के विन्दु क्रमांक–12 (vii) जिसमें माल वाहक (ट्रक) की मरम्मत और ढ़ावा दुकानें निर्धारित न्यूनतम दूरी में जिले के नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय–ढ़ाबा निम्न शर्तो के अधीन सेवा प्रारंभ करने हेतु खोले जायेंगे–

(1) भोजनालय–ढाबा का चिन्हांकन, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमाण्डर द्वारा किया जावेगा।

(2) चिन्हित भोजनालय–ढ़ाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित सुविधा हों, अर्थात् Take-away होगा। भोजनालय–ढाबा में रूक कर अथवा बैठ कर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

(3) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य शासन/स्थानीय प्रशासन के द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किये गये रोकथाम, क्वारंटाईन और निगरानी उपायों (हॉटस्पॉट) की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(4) व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान COVID-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जावे।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

(डॉ0 संजय अलंग)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Scanned with CamScanner

पृ0 क्रमांक / रीडर–जि0दण्डा / 1652-A / 2020 बिलासपुर, दिनांक– 21 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

2– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

3– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

4– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।

5– पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

6– पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर,

7– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर

8– आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर,

9– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर,

10– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बिलासपुर / कोटा / मस्तुरी एवं बिल्हा,

11– उप संचालक, जनसंपर्क , बिलासपुर को समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ।

जिला– बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

COLLECTOR & D.M. BILASPUR (CHHATTISGARH)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बिलासपुर, (छ0ग0)

जिला दण्डाधिकारी
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

21/4

Scanned with CamScanner